

हाईवे चैनल

□ वर्ष - 28 □ अंक - 232 □ राउपुर, सोमवार 15 सितम्बर 2025 □ पृष्ठ - 8 □ मूल्य - 2.50 रुपये □ राउपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

छत्तीसगढ़ में जल्द शुरु होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती : साय

रायपुर, 15 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, राज्य में जल्द ही 5000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उन्होंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, तभी से उनकी प्राथमिकता रही है कि विभाग की गहराई से समीक्षा की जाए और

शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर होगी भर्ती

इस मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्च शिक्षा में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की नई किरण लेकर आया है।

625 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति - भर्ती हेतु स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती होने से महाविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों में अग्रगण्य सुधार देखने में मिलेगा।

अतिरिक्त अधिकारियों की 25 पदों पर भर्ती से खेल गतिविधियों को बढ़ावा - इसी क्रम में क्रीडा अधिकारियों के 25 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इन पदों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और अधिक संरक्षण बनाया जा सकेगा।

रक्षकपाल के 50 पदों पर भर्ती से पुनर्वासित होंगे शरणार्थ - इसके अतिरिक्त रक्षकपाल के 50 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है। ग्रंथपालों की नियुक्ति से पुनर्वासितों का बेहतर संचालन होगा और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो सकेगी। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और अध्यापकों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

महाराष्ट्र को मिला नया राज्यपाल, आचार्य देवव्रत ने राजभवन में ली शपथ

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (न्यूज चैनल)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री शिंदे भी शामिल हुए। आचार्य देवव्रत ने सीपी राधकृष्णन का स्थान लिया है,



जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया था।

वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत

रायपुर, 15 सितंबर (हाईवे चैनल)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में वाणराणी-लखनऊ राजमार्ग पर आज सुबह भीषण बस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के चार श्रद्धालुओं की मौत और छह लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर पाने की खबर पाने की खबर पाने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है।



मुख्यमंत्री साय ने जताया शोक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लिखा डू बागमती-लखनऊ राजमार्ग पर हुई इस दुर्घटना में कांकर और राजनंदसिंग जिले के चार श्रद्धालुओं की असमय निधन व छह के गंभीर रूप से घायल होने का खबर, विचारक समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्मार्थों को अपने शरीरों में स्थान दें और उनके परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता, धान्यलों का समुचित इलाज और मुक्तकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं से दर्शन कर लीटर रही छत्तीसगढ़ के कांकर और राजनंदसिंग जिले की डलवा डेकर टूरिस्ट बस सोहीपुर क्रॉसिंग के पास ओवरटेकिंग के दौरान टुक से टकरा गई। हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत पर शयल हो गई, जबकि छह यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए जा रहे हैं। मुक्तकों की पहचान कांकर जिले की आशा भगत, गुलाब, बस बाबाक दीपक और अन्य अज्ञात यात्रियों के रूप में हुई है। सभी श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के बाद कांकर विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए रवाना हुए थे। हादसे तक बस में कुल 50 यात्री सवार थे।

छत्तीसगढ़ के अगले मुख्य सचिव होंगे आईएएस विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक से हुए रिलीव

रायपुर, 15 सितंबर (हाईवे चैनल)। 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकासशील अगले मुख्य सचिव होंगे। विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात थे। जनवरी 2024 में उन्हें केंद्र सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए इस पद पर भेजा था। विकासशील अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं।



विकासशील ने 1994 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की थी। छत्तीसगढ़ के केंद्र में आते ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों निभाईं। वे रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े जिलों में कलेक्टर रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन में उद्योग, वित्त, स्वास्थ्य और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व भी संभाला है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर कार्य का अनुभव मिला। जल जीवन मिशन में मिशन डायरेक्टर के रूप में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने उन्हें Secretary/Secretary-equivalent ग्रेड के लिए ऐपॉइंट किया। इस ऐपॉइंटमेंट को छत्तीसगढ़ के केंद्र में उनकी सीनियरिटी और अनुभव के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में एडवोकी को पत्र लिखकर विकासशील को समय से पहले रिलीव करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार के पत्र के बाद एडवोकी ने उन्हें रिलीव कर दिया है। बताया जा रहा है कि विकासशील अगले हफ्ते ही रायपुर आ जाएंगे, उनकी पत्नी निधि शिखर भी 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, वे भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से रिलीव होकर छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं।

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

3 गैर मुस्लिम, 5 साल वाली शर्त खारिज

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ धाराओं पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने वक्फ बनाने वाले और अतिक्रमण के विवादों का निपटारा करने वाले से संबंधित प्रावधानों पर रोक लगा दी, साथ ही वक्फ बोर्ड के गठन पर भी सिफारिशें जारी कीं।

धारा 3(1)(आर), जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का पाँच साल तक इस्लाम का अभ्यास करना अनिवार्य है, को स्थगित कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3(2) के प्रावधान को भी रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि किसी संघर्षित को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई सरकारी अधिकारी संपातित अतिक्रमण की सूचना न दे। धारा 3(3), जिसके तहत अधिकारी को राज्य सरकारों को अवधान रिपोर्ट करना आवश्यक था, को भी निलंबित कर दिया गया है। अदालत ने धारा 3(4) पर रोक लगा दी, जो जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देती थी कि कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं।



- पाँच साल तक इस्लाम का अभ्यास करने का नियम स्थगित
- वक्फ संपत्ति सत्यापन संबंधी प्रावधानों पर रोक
- जिला कलेक्टर की शक्तियाँ प्रतिबंधित

और आदेश पारित कर सकती थी। मुख्य विधायी इतिहास का अध्ययन किया है और प्रत्येक को धारा के लिए प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है और पूरे कानून के लिए पेशों को सुनने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर हमने स्थगन आदेश दिया है।

दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर में गैंगस्टरों के 25 ठिकानों पर छापे, 26 हिरासत में, 6 गिरफ्तार

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (न्यूज चैनल)। द्वारका जिला पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में 25 ठिकानों पर छापेमारी करके साल के सबसे बड़े गैंग-विरोधी अभियानों में से एक को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में द्वारका के डीसीपी की निगरानी में 25 पुलिस टीमों और 380 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कुल छापेमारी स्थलों में से 19 दिल्ली में और 6 हरियाणा-एनसीआर में थे। इस अभियान में विशेष रूप से कपिल संग्रहण उर्फ 7 नंदू और विक्की टाकर के आचार्यक नेटवर्क को निशाना बनाया गया, जिन पर जबरन वसूली, हत्या और हथियारों की तस्करी के कई आरोप हैं। 25 छापेमारी स्थलों में से 19 दिल्ली में और 6 हरियाणा-एनसीआर में थे। यह कार्रवाई कपिल संग्रहण नेटवर्क पर केंद्रित थी, दोनों ही जबरन वसूली, हत्या और हथियारों की तस्करी सहित कई गैंग-रोजगार अपराधों के लिए पुलिस की नजर में रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान नकदी, हथियार और विलासिता की वस्तुओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। 26 हिरासत, लाशों 750 लाख मूल्य के नए आभूषण, 8 पिस्तौल, 20 टैग्स कार्ट्रिज और 3 मैगजीन, एक ब्रुलेटफ़फ टैग्स फ़ॉर्न्यूजर, कई ऑटो कारें, 14 महंगी लक्जरी बिल्डिंग, लैपटॉप, आईपैड, एक फ़ैसल गिने की मशीन और वॉल-टॉकी सेट।



380 पुलिसकर्मी तैनात, हथियार और लज्जती गाड़ियाँ बरामद

वस्तुओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। 26 हिरासत, लाशों 750 लाख मूल्य के नए आभूषण, 8 पिस्तौल, 20 टैग्स कार्ट्रिज और 3 मैगजीन, एक ब्रुलेटफ़फ टैग्स फ़ॉर्न्यूजर, कई ऑटो कारें, 14 महंगी लक्जरी बिल्डिंग, लैपटॉप, आईपैड, एक फ़ैसल गिने की मशीन और वॉल-टॉकी सेट।

टैक्सी ने बाइक सवार परिवार को मारी ठोकर, फिर 150 मीटर तक घसीटा, चालक हुआ फरार

रायपुर, 15 सितंबर (हाईवे चैनल)। रायपुर में रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे से ससती फैल गई। मुंबई-रायपुर हाइवे पर सिग्नल 2 के पास करीब 10-30 बजे एक डबल टैक्सी कार (कमांक सीसी 04 एलएफ 9695) ने वाइक सवार परिवार को जोरदार ठोकर मारी और करीब 150-200 मीटर तक घसीटे हुए चालक कर दिया। गुरुआत जानकारी के मुताबिक, हादसे में बाइक चला रहे युवक



के तिर में गंभीर चोट आई। बाइक पर पति, पत्नी और एक 1 साल से कम उम्र की बच्ची सवार थे। डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डबल टैक्सी का चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस दौड़ रही है। मौके पर डीडी नगर थाना टीआई और पुलिसकर्मी मौजूद हैं।

गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित पोस्ट, 24 घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुआ एफआईआर

कांकर, 15 सितंबर (हाईवे चैनल)। रेंड रात कांकर कोतवाली थाना में उस समय होना खड़ा हो गया जब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद भोजराज नाग सहित पदों के कई वरिष्ठ नेता और सचिव के नुबुदा, कांकरिस नेता द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किए जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। शिवायत दिए जाने के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद केस दर्ज नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और थाने में जबरन हंगामा किया। वहीं परस्थिती ठीक हो जाने की मांग को लेकर भी भाजपाईयों ने जबरन गैरमौजूबी की। इस दौरान मौके पर मौजूद सांसद भोजराज नाग ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक



- सांसद के साथ भाजपाईयों ने थाने का किरिया घेराव, टीआई को हटाने की मांग पर आड़े, एमपी भोजराज नाग ने कहा- नहीं चलेगी कोई मनमानी

व्यक्ति ने आपत्तिजनक बातें लिखी हैं और उनके भाषण के वीडियो को एडिट किया गया है जो वास्तव में हो रहा है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन को भावनाओं को ठेस पहुंची है। भाजपा जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमने थाना आकर

एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने से मना किया है। उन्होंने आगे कहा कि जबरन एफआईआर दर्ज नहीं होगी और आरोपों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनका अपमान हम सबका अपमान है।

सांसद नाग ने स्पष्ट कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति पर तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करने को जाने शासन की पत्र लिखकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनाता का प्रतिनिधि और सांसद करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता की शिकायतों पर कैसे न्याय मिलेगा? उन्होंने कहा कि कोई मममनी हम नहीं चलते देंगे। निरिक्ष रूप से भारतीय जनाता पार्टी की सरकार में आम जनता की सुनी जाती है और जो भी कानून समझता सात होगी, जो भी कार्रवाई होगी, उसे करना ही पड़ेगा। क्योंकि संविधान में सबको अधिकार है और संविधान सर्वोच्च है, उसका शासन करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे टीआई के खिलाफ में शासन को पत्र लिखें।



चूहा- सुनती हो, अब यहां न्यूड पाटी का भी आयोजन होगा क्या? चूहिया- हा जी, न्यूड लोग ही अपने आपको समाज और कानून से ऊपर समझते हैं।